



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ३४]

बुधवार, ऑगस्ट १२, २०२६/श्रावण २१, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

राजस्व तथा वन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ७ अगस्त २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2026.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE
CODE, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ सन् २०२६।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान
सन् १९६६ हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर
का संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;
महा. ४१.

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

(१)

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६६ का
महा. ४१ की धारा
४८ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा ४८ की, उप-धारा (७) में, “खनिजों के बाजार सन् १९६६ का
मुल्य के पाँच गुणा तक” शब्दों के स्थान में, “खनिजों के लिए देय रायल्टी के दस गुणा के समान” शब्द महा. ४१।
रखे जायेंगे।

वक्तव्य

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा ४८ यह खानों और खनिजों पर सरकारी स्वामित्व का उपबंध करती है। उक्त धारा ४८ की उप-धारा (७) में यह उपबंध है कि, यदि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खनिजों का उत्खनन करता है, उसे निकालता है, संग्रहण करता है, एक जगह से अन्य जगह पर ले जाता है, उसे उठाता या निपटान करता है, तो उस पर ऐसे खनिजों के बाजार मूल्य के पाँच गुणा तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

२. यह ध्यान में आया है कि, जैसा कि कलक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य विभिन्न जिलों में अलग-अलग है, खनिजों के अवैध उत्खनन या उसे निकालने आदि, के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शास्ति की अलग-अलग रकम अधिरोपित की जाती है। यह भी देखा गया है कि, कुछ परियोजनाओं में परियोजना लागत से अधिक शास्ति अधिरोपित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी परियोजनाएँ रुक गई हैं। शास्ति की रकम खनिजों के बाजार मूल्य पर निर्भर होने के कारण अत्यधिक होने से शास्ति के विरुद्ध सक्षम प्राधिकरण के समक्ष बड़ी संख्या में अपील विलंबित है। इससे शास्ति की वसूली में विलंब हो रहा है। इसलिए, ऐसे खनिजों के लिए देय रायल्टी के दस गुणा समान शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त संहिता की धारा ४८ में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है; अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांक ६ अगस्त २०२६।

जिष्णु देव वर्मा,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के
आदेश तथा नाम से,

विकास खारगे,

सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।